



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274838
CG-DL-E-27072026-274838

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3898]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 3898]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

का.आ. 4068(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में NH-332A के कि.मी. 54.824 से कि.मी.108.047 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के संबंध में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एसडीआरओ एलए एनएच विल्लुपुरम को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में NH-332A के कि.मी. 54.824 से कि.मी. 108.047 तक अर्जित की जाने वाली संरचना-रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु			जिले का नाम: विल्लुपुरम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मरक्कानम					
गांव का नाम: मरक्कानम साउथ					
1	354/7B1A1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	810 (वर्ग मीटर)	0.081
2	423/10	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	30 (वर्ग मीटर)	0.003
3	423/11	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	52 (वर्ग मीटर)	0.0052
4	423/12	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	43 (वर्ग मीटर)	0.0043
5	423/2A1A1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	61 (वर्ग मीटर)	0.0061
6	423/2A2A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	73 (वर्ग मीटर)	0.0073
7	423/2A2B	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	104 (वर्ग मीटर)	0.0104
8	423/3	सरकारी	(कार्ट लेन)	40 (वर्ग मीटर)	0.004
9	423/4A2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	345 (वर्ग मीटर)	0.0345
10	423/5A1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	400 (वर्ग मीटर)	0.04
11	423/9	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	40 (वर्ग मीटर)	0.004
12	424/2	सरकारी	(कार्ट लेन)	30 (वर्ग मीटर)	0.003
13	424/29	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	60 (वर्ग मीटर)	0.006
14	424/36	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	33 (वर्ग मीटर)	0.0033

15	424/37	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	31 (वर्ग मीटर)	0.0031
16	424/39	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	26 (वर्ग मीटर)	0.0026
17	424/3B1A1A1A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	20 (वर्ग मीटर)	0.002
18	424/3B1A1A1A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	29 (वर्ग मीटर)	0.0029
19	424/3B1A1A1A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	26 (वर्ग मीटर)	0.0026
20	424/50	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	31 (वर्ग मीटर)	0.0031
21	692/3B	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	90 (वर्ग मीटर)	0.009
22	702/1A1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	71 (वर्ग मीटर)	0.0071
23	703/1A3A1A1A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	52 (वर्ग मीटर)	0.0052
24	710/10A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	335 (वर्ग मीटर)	0.0335
25	710/2A1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	397 (वर्ग मीटर)	0.0397
26	710/7A1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	300 (वर्ग मीटर)	0.03
27	710/9B	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	347 (वर्ग मीटर)	0.0347
28	711/7A1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	1300 (वर्ग मीटर)	0.13
29	922/15A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	26 (वर्ग मीटर)	0.0026
30	923/1	सरकारी	(स्ट्रीट)	31 (वर्ग मीटर)	0.0031
31	923/7A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	13 (वर्ग मीटर)	0.0013
32	923/8A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	12 (वर्ग मीटर)	0.0012
33	923/9A	निजी	नॉन एग्रीकल्चर (ड्राय)	11 (वर्ग मीटर)	0.0011
Total					0.5269

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2026

S.O. 4068(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-332A in the stretch of land from Km. 54.824 to Km. 108.047 in the district of VILLUPURAM in the state of TAMIL NADU, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDRO LA NH Villupuram in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-332A in the stretch of land from Km. 54.824 to Km. 108.047 in the district of VILLUPURAM in the state of TAMIL NADU

State: TAMIL NADU			District: VILLUPURAM		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Marakkanam					
Village: Marakkanam South					
1	354/7B1A1	Private	Non Agriculture (Dry)	810 (Square Meter)	0.081
2	423/10	Private	Non Agriculture (Dry)	30 (Square Meter)	0.003
3	423/11	Private	Non Agriculture (Dry)	52 (Square Meter)	0.0052
4	423/12	Private	Non Agriculture (Dry)	43 (Square Meter)	0.0043
5	423/2A1A1	Private	Non Agriculture (Dry)	61 (Square Meter)	0.0061
6	423/2A2A	Private	Non Agriculture (Dry)	73 (Square Meter)	0.0073
7	423/2A2B	Private	Non Agriculture (Dry)	104 (Square Meter)	0.0104

8	423/3	Government	(Cart Lane)	40 (Square Meter)	0.004
9	423/4A2	Private	Non Agriculture (Dry)	345 (Square Meter)	0.0345
10	423/5A1	Private	Non Agriculture (Dry)	400 (Square Meter)	0.04
11	423/9	Private	Non Agriculture (Dry)	40 (Square Meter)	0.004
12	424/2	Government	(Cart Lane)	30 (Square Meter)	0.003
13	424/29	Private	Non Agriculture (Dry)	60 (Square Meter)	0.006
14	424/36	Private	Non Agriculture (Dry)	33 (Square Meter)	0.0033
15	424/37	Private	Non Agriculture (Dry)	31 (Square Meter)	0.0031
16	424/39	Private	Non Agriculture (Dry)	26 (Square Meter)	0.0026
17	424/3B1A1A1A	Private	Non Agriculture (Dry)	20 (Square Meter)	0.002
18	424/3B1A1A1A	Private	Non Agriculture (Dry)	29 (Square Meter)	0.0029
19	424/3B1A1A1A	Private	Non Agriculture (Dry)	26 (Square Meter)	0.0026
20	424/50	Private	Non Agriculture (Dry)	31 (Square Meter)	0.0031
21	692/3B	Private	Non Agriculture (Dry)	90 (Square Meter)	0.009
22	702/1A1	Private	Non Agriculture (Dry)	71 (Square Meter)	0.0071
23	703/1A3A1A1A	Private	Non Agriculture (Dry)	52 (Square Meter)	0.0052
24	710/10A	Private	Non Agriculture (Dry)	335 (Square Meter)	0.0335
25	710/2A1	Private	Non Agriculture (Dry)	397 (Square Meter)	0.0397
26	710/7A1	Private	Non Agriculture (Dry)	300 (Square Meter)	0.03
27	710/9B	Private	Non Agriculture (Dry)	347 (Square Meter)	0.0347
28	711/7A1	Private	Non Agriculture (Dry)	1300 (Square Meter)	0.13
29	922/15A	Private	Non Agriculture (Dry)	26 (Square Meter)	0.0026
30	923/1	Government	(Street)	31 (Square Meter)	0.0031
31	923/7A	Private	Non Agriculture (Dry)	13 (Square Meter)	0.0013
32	923/8A	Private	Non Agriculture (Dry)	12 (Square Meter)	0.0012

33	923/9A	Private	Non Agriculture (Dry)	11 (Square Meter)	0.0011
Total					0.5269

[F. No. NHAI/18011/249/2018/PIU Chennai / dated 12-07-2018/3A/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director